

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

NO नं०: 88/2018

तारीखरजु: 08.08.18

निर्णय दिनांक:-

उनवान:- कलुआ बनाग रागचरण वगै०

दावा वावत तकास्मा व रथाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53,188 राज० टि० एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम	
8.8.2018	<p>वादी की ओर से श्री राजय कुमार महलोट एडवोकेट दावा वावत तकास्मा व रथाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज० टि० एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब कर पत्रावली दिनांक 05.09.2018 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)</p>	<p>2755-78 8/8/18</p>
5.9.18	<p>वादी वकील उप०/सम्मन वापिस प्राप्त नहीं। इन्कार सम्मनताहील। तलबी दिनांक 28/9/18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)</p>	
26.10.18	<p>जनरल पेशीस पेश हुई। वादी वकील उप०/प्रतिवादी नं. 1 से 5, 7 से 13, 17, 18, 21, 22, 23 की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा Adv. ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नं. 6, 14, 15, 19, 20, 24 अकजूद रूपता उप० नहीं। प्रतिवादी नं. 16 ने सम्मन प्राप्त कले इन्कार किया है। प्रतिवादी नं. 6, 14, 15, 16, 19, 20, 24 के विरुद्ध एक पक्षीय काबिही की जाती है। जबाब पेश कले दिनांक 28-11-18 को पेश हो।</p>	

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडा

फर्द अहकाम

दिनांक	
1834	
25.5-19	
25.6.19	<p>जारी करें। निर्णय व प्राथमिक डिफ़ी की प्रति तहसीलदार टोडा कीस को भिजवाई जाकर बँटवारा स्कीम तालुका की जाकर पत्रावली दिनांक 25.6.19 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">/</p>
25.6.19	<p>वकूलाय उप। तहसीलदार टोडा कीस से बँटवारा स्कीम प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार P.O. सा. आवकाश पर पधारे से आर्किवा दिनांक 5.7.19 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">/</p>
5.7.19	<p>वादी वकील उपस्थित। वादी वकील ने बँटवारा स्कीम का आवलीकन कर मुताबिक बँटवारा स्कीम दावा फाईनल डिफ़ी क्ले का छपन किया। बँटवारा स्कीम के अनुसार वादी का दावा फाईनल डिफ़ी किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया जाता है। पचा डिफ़ी जारी करें। पत्रावली फाईनल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर है।</p> <p style="text-align: right;">/</p>